वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 96/2025 दिनांक- 12.03.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-12.03.2025 को थाना कंधरापुर पुलिस द्वारा ग्राम गयासपुर में ही हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया तथा हत्या के 03 आरोपियों को घटना में प्रयुक्त एक गमछें के साथ गिरफ्तार किया गया है।

थाना- कन्धरापुर

ग्राम गयासपुर में हुई घटना का सफल अनावरण, हत्या के 03 आरोपियों को घटना में प्रयुक्त एक गमछा के साथ गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी विजय प्रताप निषाद पुत्र स्व0 मनदेव निषाद ग्राम व पो0 गयासपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ के द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि मेरी लड़की प्रीती निषाद पुत्री विजय प्रताप निषाद उम्र लगभग 07 वर्ष जो दिनांक 11.03.2025 समय 15.30 बजे घर से तालीपुर बासुदेव की दुकान पर सामान लेने गयी थी जो वापस घर न आने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 62/25 धारा 137(2), बी.एन.एस. बनाम अज्ञात विरूद्ध दिनांक 11.03.2025 को पंजीकृत कराया गया। दिनांक- 12.03.2025 को सुबह करीब 08.00 बजे पुलिस को सूचना मिली कि थाना कन्धरापुर क्षेत्र के ग्राम गयासपुर स्थित सरसो के खेत में नाबालिक लड़की का शव पड़ा है। इस सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा उक्त घटना का यथाशीघ्र घटना का सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन करते हुए थाना प्रभारी कंधरापुर को निर्देशित किया गया। शव का शिनाख्त प्रीती निषाद पुत्री विजय निषाद निवासी गयासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ के रूप में हुयी। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0- 62/2025 धारा 137(2)BNS बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना ग्रहण, जाँच व साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त मे वादी विजय निषाद के द्वारा ही अपनी लडकी प्रीती निषाद उम्र करीब 07 वर्ष का गला घोंट कर हत्या करना पाया गया है, व उसके सहयोग करने वाले अभियुक्तो सेवक निषाद व जनई यादव का शामिल होना पाया गया, जिसमे साक्ष्य संकलन व पीएम रिपोर्ट से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 103(1)/238/61(2) BNS की बढोतरी की गयी एवं अभियुक्त 1.विजय प्रताप निषाद पुत्र स्व0 मनदेव निषाद ग्राम व पो0 गयासपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ 2. जनई यादव पुत्र स्व0 रामचेत यादव निवासी गयासपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ उम्र करीब 32 वर्ष, व 3.सेवक निषाद पुत्र स्व0 मुराती निषाद निवासी बहेरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ उम्र करीब 34 वर्ष का नाम प्रकाश मे आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

➡आज दिनांक- 12.03.2025 को प्र0नि0 कन्धरापुर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त 1. विजय प्रताप निषाद पुत्र स्व0 मनदेव निषाद ग्राम व पो0 गयासपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ उम्र करीब 46 वर्ष को ग्राम गयासपुर स्थित सरसो के खेत में से समय करीब 19.00 बजे** तथा दो अन्य अभियुक्तों 2.जनई यादव पुत्र स्व0 रामचेत यादव निवासी गयासपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ उम्र करीब 32 वर्ष, 3. सेवक निषाद पुत्र स्व0 मुराती निषाद निवासी बहेरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ उम्र करीब 34 वर्ष को **सेहदा अन्डर पास के नीचे से समय 19.30 बजे गिरफ्तार** किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

घटना का अनावरण-

➡गिरफ्तार अभियुक्त विजय प्रताप निषाद पुत्र स्व0 मनदेव निषाद ग्राम व पो0 गयासपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ ने बताया कि मै अपनी पत्नी से परेशान हो गया था वह मुझे छोड़कर अपने मायके चली गयी थी तथा अपने साथ अपने एक बच्चे को लेकर चली गयी थी मैने उसे कई बार फोन करके वापस आने को कहा किन्तु वह नही आयी, जिसके कारण योजना के तहत मैने अपनी पुत्री प्रीती निषाद उम्र करीब 07 वर्ष को सुर्ती मंगाने के लिए दुकान पर भेजा और वापस आते समय रास्ते में अपनी पुत्री को सरसो के खेत मे ले जाकर गला दबा कर एंव गमछे से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दिया जिसकी जानकारी मेरे बहनोई सेवक निषाद पुत्र स्व0 मुराती निषाद निवासी बहेरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ व मेरे मित्र जनई यादव पुत्र स्व0 रामचेत यादव निवासी गयासपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ को थी इन लोगो द्वारा मेरे इस कार्य मे सहयोग किये थे और दूर पुलिया पर खड़े होकर आने जाने वाले पर निगाह रखे थे। मैने अपनी पुत्री की हत्या कर उसका शव छिपा दिया था और अपने बचने के लिए थाने पर जाकर झूठी कहानी बनाकर अपहरण का मुकदमा लिखवा दिया था तथा अभियुक्त 2. जनई यादव पुत्र स्व0 रामचेत यादव निवासी गयासपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ उम्र करीब 32 वर्ष व 3.सेवक निषाद पुत्र स्व0 मुराती निषाद निवासी बहेरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ उम्र करीब 34 वर्ष ने बताया कि इस घटना की जानकारी उन्हे पहले से थी योजना के तहत घटना को अन्जाम दिया गया।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 62/2025 धारा 137(2)/103(1)/238/61(2) BNS भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त:—

1.विजय प्रताप निषाद पुत्र स्व0 मनदेव निषाद ग्राम व पो0 गयासपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ उम्र करीब 46 वर्ष

2. जनई यादव पुत्र स्व0 रामचेत यादव निवासी गयासपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ उम्र करीब 32 वर्ष

3.सेवक निषाद पुत्र स्व0 मुराती निषाद निवासी बहेरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ उम्र करीब 34 वर्ष

बरामदगी

1- घटना में प्रयुक्त 01 अदद गमछा (आला कत्ल)

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह थाना कन्धरापुर
2. व0उ0नि0 रमेश कुमार थाना कन्धरापुर
3. उ0नि0 जावेद अख्तर थाना कन्धरापुर
4. उ0नि0 अमित कुमार पाल थाना कन्धरापुर